



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225155
CG-DL-E-15022021-225155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 73]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी-67/18/डीडी/70/18/डीसी/963/18.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. नंदकिशोर परशुराम रेडिज (सदस्यता संख्या 036600), यूनिट संख्या 7, ठक्कर इंडस्ट्रियल एस्टेट, प्रथम तल, एनेक्सी 20, सी बी रोड, मझगाँव, मुंबई 400 010 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और खंड (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नंदकिशोर परशुराम रेडिज (सदस्यता संख्या 036600) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 25,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. नंदकिशोर परशुराम रेडिज (सदस्यता संख्या 036600) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./503/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/G-67/18/DD/70/18/DC/963/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Nandkishor Parshuram Redij (Membership No. 036600), Unit No. 7, Thakkar Industrial Estate, First Floor, Annexe 20, C B Road, Mazagaon, MUMBAI 400 010**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Nandkishor Parshuram Redij (Membership No. 036600) from the Register of Members for a period of 06(six) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/-. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Nandkishor Parshuram Redij (Membership No. 036600)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(six) months with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./503/2020-21]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225156
CG-DL-E-15022021-225156

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 70]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान,

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/310/14-डीडी/329/14-डीसी/599/17.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. हरीशकुमार भाईशंकर पुरोहित (सदस्यता संख्या 036004), ए/44, नीलदीप अपार्टमेंट, संदेश प्रेस के समीप, बोदकदेव, अहमदाबाद-380 054 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. हरीशकुमार भाईशंकर पुरोहित (सदस्यता संख्या 036004) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. हरीशकुमार भाईशंकर पुरोहित (सदस्यता संख्या 036004) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./508/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA,**NOTIFICATION**

New Delhi the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/310/14-DD/329/14-DC/599/17:—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Harishkumar Bhaishankar Purohit (Membership No. 036004), A/44, Nildeep Apartments, Near Sandesh Press, Bodakdev, AHMEDABAD 380 054**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5), (6) (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Harishkumar Bhaishankar Purohit (Membership No. 036004) from the Register of Members for a period of 15 (fifteen) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Harishkumar Bhaishankar Purohit (Membership No. 036004)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 15 (fifteen) days with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./508/2020-21]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225162
CG-DL-E-15022021-225162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 69]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/172/13-डीडी/178/13/डीसी/513/2017.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, मैसर्स यू एस साहा एंड कंपनी के सीए. अशोक गुहा (सदस्यता संख्या 015143), चार्टर्ड एकाउंटेंट, बी-66, सतींद्र पाली, गोस्थोतला के समीप, ब्रह्मपुर, कोलकाता 700 084 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अशोक गुहा (सदस्यता संख्या 015143) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अशोक गुहा (सदस्यता संख्या 015143) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./504/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/172/13-DD/178/13/DC/513/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Asok Guha (Membership No. 015143) of M/s. U S Saha & Co., Chartered Accountants, B-66, Satindra Pally, Near Gosthotala, Brahmapur, Kolkata 700 084**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Asok Guha (Membership No. 015143) from the Register of Members for a period of 02(Two) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Asok Guha (Membership No. 015143), shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 15th February, 2021.**

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./504/2020-21]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225161
CG-DL-E-15022021-225161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 72]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/62/17-डीडी/87/17-डीसी/918/18.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़ (सदस्यता संख्या 122995), सी-307 और 308, मेगा सेंटर, द्वितीय तल, पुणे सोलापुर रोड, मगरपट्टा हड़पसर, पुणे 411 013 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़ (सदस्यता संख्या 122995) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अभिजीत बालकृष्ण गायकवाड़ (सदस्यता संख्या 122995) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./506/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/62/17-DD/87/17-DC/918/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Abhijit Balkrishna Gaikwad (Membership No. 122995), C-307 & 308, Mega Centre, Second Floor, Pune Solapur Road, Magarpatta Hadapsar, PUNE 411 013**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule and Clause (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Abhijit Balkrishna Gaikwad (Membership No. 122995) from the Register of Members for a period of 01(one) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Abhijit Balkrishna Gaikwad (Membership No. 122995)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./506/2020-21]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022021-225158
CG-DL-E-15022021-225158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2021/माघ 26, 1942

No. 74]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2021/MAGHA 26, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2021

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/154/14/डीडी/181/14/डीसी/433/15.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सत्यवान जालिंदर मूले (सदस्यता संख्या 103417), नंबर 402, परमेश प्लाजा, 1213 सदाशिव पेठ, हट्टी गणपति के समीप, पुणे 411 030 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सत्यवान जालिंदर मूले (सदस्यता संख्या 103417) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 15,000/- रुपए (पन्द्रह हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. सत्यवान जालिंदर मूले (सदस्यता संख्या 103417) का नाम, 15 फरवरी, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./507/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/154/14/DD/181/14/DC/433/15.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Satyawar Jalindar Mule (Membership No. 103417), No. 402, Parmesh Plaza, 1213 Sadashiv Peth, Near Hatti Ganpati, Pune 411 030**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7), (8) & (9) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Satyawar Jalindar Mule (Membership No. 103417) from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 15,000/- (Fifteen Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Satyawar Jalindar Mule (Membership No. 103417)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 15th February, 2021.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./507/2020-21]

WWW.TAXSCAN.IN